23/7/18

वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी। इस प्रकार उक्त भूमि पर सलंग्न नजरी नक्शा मे वर्णित मौका स्थिति अनुसार पूर्व में उक्त खातेदारं व क्रय के बाद से प्रार्थी लगातार काबिज काश्त है। नवीन सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व कर्मचारीयो द्वारा उक्त भूमि की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत कर दी गई। तहसीलदार नीमकाथाना से भी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि की तरमीम वर्तमान नक्शे में की जावें।

वकील प्रार्थी की बहस पर पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार नीमकाथाना कि रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना कि रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख०न० 990 रकबा 0.87 है पुराने ख०न० $\frac{806}{21}$ रकबा 0.87 है से बना है तथा ख०न० 1059 रकबा 19.36 है पुराने ख०न० 806 मि. से बना है। ग्राम निमोड के पुराने ख०न० $\frac{806}{21}$ रकबा 0.87 है० की तरमीम पुराने नक्शा लट्ठा मे नही है। वर्तमान ख०न० 990 रकबा 0.87 का नक्शे मे रकबा बरारी करने पर क्षेत्रफल 0.87 है बनता है लेकिन उक्त में से मात्र 0.30 है० उत्तर दिशा पर ही प्रार्थी का कब्जा बताया है। शेष 0.57 है० ख०न० 1059 की भूमि पर कब्जा काश्त है।

sd/-

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	ख०न० 990 की तरमीम नजरी नक्शा अनुसार किया जाना एवं छोड़े गये रोड़ की ख०न० 1059 मे सम्मिलित किया जाना बताया है। इसानुसार तरमीम किये जाने बाबत तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अभिशंषा कि गई है। वैसे भी उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद कि गई है। उक्त भूमि की तरमीम तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भी नजरी नक्शा के अनुसार किये जाने की अभिशंषा कि गई है। इसलिए तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट दिनांक 4-7-2018 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 4-7-2018 के स्वीकार किया जाता है। मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार तरमीम वर्तमान नक्शे मे किये जाने के आदेश दिये जाते है। रिपोर्ट दिनांक 4.7.18 आदेश का भाग रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 5.7 / 23.7.18 (जगदीश प्रसाद गौड़) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	